अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

20 3.12.2022	**न्यायालय उपायुक्त, रॉंची** विविध वाद सं० 4/2021–22 (1) राजदीप कच्छप पिता स्व० महली कच्छप निवास– मालती, थाना नामकुम, जिला– रॉंची .... आवेदक बनाम् युनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेन्ट, एल०एल०पी० द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षकर्त्ता श्री कमल कुमार सिंह पिता स्व० लक्ष्मी शंकर सिंह निवासी एम०आई०जी० – बी०–67 हाउसिंग कॉलोनी, धनबाद (झारखण्ड) .... विपक्षी आदेश प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक राजदीप कच्छप द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के तहत दायर आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत उन्होने मौजा रामपुर, थाना नामकुम, थाना सं० 336, के खाता सं० 64, प्लॉट सं० 32 रकबा 59 रकबा 1.00 एकड़ भूमि को विपक्षी युनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेन्ट, एल०एल०पी० द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता, श्री कमल कुमार सिंह पिता स्व० लक्ष्मी शंकर सिंह निवासी एम०आई०जी० – बी०–67 हाउसिंग कॉलोनी, धनबाद (झारखण्ड) के पक्ष में उद्योग की स्थापना के निमित हस्तांतरित करने हेतु अनुमति प्रदान करने का प्रार्थना किया है। विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद आवेदन की ओर से इस पुनरीक्षण वाद मे बहस करने हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक विगत कई तिथियों से इस वाद मे उपस्थित नही हो रहे है। ऐसा प्रतित होता है कि आवेदक को अब इस वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। प्रस्तुत मामले मे ॲंचल अधिकारी नामकुम ने पत्रांक 150 दिनांक	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	. 2	
	20.01.2022 के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसम उन्होने आवेदक द्वारा धारा 49 छो० का० अधिनियम के तहत दायर आवेदन का अस्वीकृत करने की अनुशंसा किया है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक ने स्थल जॉच के दौरान उनके उपरोक्त आवेदन का निरस्त करने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत मामले मे विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता ने भी आवेदक द्वारा धारा 49 छो० का० अधिनियम के तहत दायर आवेदन का अस्वीकृत करने की अनुशंसा की है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आवेदक राजदीप कच्छप द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के तहत दायर आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश की प्रति सभी संबधीत पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। Rahul उपायुक्त रॉची लेखपित एवं संशोधित Rahul उपायुक्त रॉची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.04.01 12:52:03 +05:30
Location: 192.168.101.2